# अड़तालीसवां प्रतिवेदन

## याचिका समिति

## (सत्रहवीं लोक सभा)

## सहकारिता मंत्रालय

(24.03.2023 को लोक सभा को प्रस्तुत किया गया)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2023/ चैत्र, 1945 (शक)

सीपीबी सं. 1 खंड XLVIII

© **2023** लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (सोलहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित

# विषय-सूची


पृष्ठ

याचिका समिति का गठन..... (ii)

प्राक्कथन..... (iii)

## प्रतिवेदन

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (रा.स.वि.नि) से सब्सिडी जारी करने, ऋणों के पुनर्गठन, अतिरिक्त कार्यशील पूंजी प्रदान करने और निरीक्षण पूरा करने आदि के लिए अनुरोध करने से संबंधित श्री कैलाश गोरख पाटिल, अध्यक्ष, चोपडा तालुका शेतकारी सहकारी सूतगिरनी मर्यादित, चोपडा, जलगांव (महाराष्ट्र) से प्राप्त अभ्यावेदन पर याचिका समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के तैंतीसवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई। 1

## अनुलग्नक

(i) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) का पत्र दिनांक 31.03.2022 21

(ii) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) का पत्र दिनांक 11.09.2020 24

(iii) तापी शेतकारी सहकारी सूतगिरनी मर्यादित, चोपडा का पत्र दिनांक 20.10.2022 26

(iv) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) निरीक्षण की रिपोर्ट 27

## परिशिष्ट

याचिका समिति की 23.03.2023 को हुई 28वीं बैठक का कार्यवाही सारांश।

## याचिका समिति का गठन

श्री हरीश द्विवेदी - *सभापति*

### सदस्य

2. श्री एंटो एन्टोनी
3. श्री हनुमान बेनीवाल
4. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक
5. श्री पी. रविन्द्रनाथ
6. डॉ. जयंत कुमार राय
7. श्री बृजेन्द्र सिंह
8. श्री सुनील कुमार सिंह
9. श्री सुशील कुमार सिंह
10. श्री मनोज कुमार तिवारी
11. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा
12. श्री राजन बाबूराव विचारे
13. रिक्त
14. रिक्त
15. रिक्त

### <u>सचिवालय</u>

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री टी.जी.चन्द्रशेखर | - | अपर सचिव |
| 2. | श्री राजू श्रीवास्तव | - | निदेशक |
| 3. | श्री आनंद कुमार हांसदा | - | सहायक कार्यकारी अधिकारी |

# याचिका समिति का गठन याचिका समिति का अड़तालीसवां प्रतिवेदन
# (सत्रहवीं लोक सभा)

## प्राक्कथन

मैं, याचिका समिति का सभापति, समिति द्वारा उनकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (रा.स.वि.नि) से सब्सिडी जारी करने, ऋणों के पुनर्गठन, अतिरिक्त कार्यशील पूंजी प्रदान करने और निरीक्षण पूरा करने आदि के लिए अनुरोध करने से संबंधित श्री कैलाश गोरख पाटिल, अध्यक्ष, चोपडा तालुका शेतकारी सहकारी सूतगिरनी मर्यादित, चोपडा, जलगांव (महाराष्ट्र) से प्राप्त अभ्यावेदन पर याचिका समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के तैंतीसवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर समिति का यह अड़तालीसवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) सभा में प्रस्तुत करता हूँ।

2. समिति ने 23 मार्च, 2023 को हुई अपनी बैठक में 48वें प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

3. उक्त मुद्दों पर समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें प्रतिवेदन में शामिल की गई है।

नई दिल्ली;
23 मार्च, 2023
02 **चैत्र**, 1945 (शक)

श्री हरीश द्विवेदी
सभापति,
याचिका समिति

# प्रतिवेदन

**राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (रा.स.वि.नि) से सब्सिडी जारी करने, ऋणों के पुनर्गठन, अतिरिक्त कार्यशील पूंजी प्रदान करने और निरीक्षण पूरा करने आदि के लिए अनुरोध करने से संबंधित श्री कैलाश गोरख पाटिल, अध्यक्ष, चोपडा तालुका शेतकारी सहकारी सूतगिरनी मर्यादित, चोपडा, जलगांव (महाराष्ट्र) से प्राप्त अभ्यावेदन पर याचिका समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के तैंतीसवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई।**

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (रा.स.वि.नि) से सब्सिडी जारी करने, ऋणों के पुनर्गठन, अतिरिक्त कार्यशील पूंजी प्रदान करने और निरीक्षण पूरा करने आदि के लिए अनुरोध करने से संबंधित श्री कैलाश गोरख पाटिल, अध्यक्ष, चोपडा तालुका शेतकारी सहकारी सूतगिरनी मर्यादित, चोपडा, जलगांव (महाराष्ट्र) से प्राप्त अभ्यावेदन पर याचिका समिति (सत्रहवीं लोकसभा) ने 2 अगस्त 2022 को लोकसभा में अपना तैंतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

2. समिति ने इस मामले में कुछ टिप्पणियां/सिफारिशें की थीं और सहकारिता मंत्रालय से इन सिफारिशों को लागू करने के लिए कहा था तथा समिति के आगे विचारार्थ इन सिफारिशों पर की गई कार्रवाई टिप्पण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

3. उपर्युक्त प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सहकारिता मंत्रालय से कार्रवाई नोट प्राप्त हो गए हैं। समिति द्वारा की गई सिफारिशें और सहकारिता मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत उत्तर का ब्यौरा अगले अनुच्छेदों में दर्शाया गया हैं।

4. प्रतिवेदन के अनुच्छेदों 17 और 18 में समिति ने निम्नानुसार टिप्पणी/सिफारिश की थी:-

*कृषि सहकारिता संबंधी केन्द्रीय क्षेत्रक समेकित योजना (सीएसआईएसएसी) के अंतर्गत राजसहायता जारी करने में तेजी लाना।*

"समिति ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)/सहकारिता मंत्रालय और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (रा.स.वि.नि.) द्वारा दी गई टिप्पणियों की तुलना में श्री कैलाश गोरख पाटिल के अभ्यावेदन की सावधानीपूर्वक जांच करते हुए नोट किया कि तापी शेतकारी सहकारी सूतगिरणी लिमिटेड (जिसे पहले चोपडा तालुका शतकारी सहकारी सूतगिरनी मर्यादित के नाम से जाना जाता था), जिला जलगांव, महाराष्ट्र, वर्ष 1991 में पंजीकृत उत्पादकों की एक सहकारी कताई मिल है, जो महाराष्ट्र राज्य के कपास उत्पादक क्षेत्र अर्थात उत्तरी महाराष्ट्र में स्थित है। उक्त सहकारी समिति ने नई कताई मिल स्थापित करने का फैसला किया था और शुरू में अपने सदस्यों से 3.00 करोड़ रुपये का अंशदान एकत्रित किया था तथा इस उद्देश्य हेतु राज्य सरकार (2015 तक) से 'शेयर पूंजी' के रूप में 21.72 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे। वर्ष 2016 में, सोसायटी ने 25,920 स्पिंडल क्षमता की नई कताई मिल स्थापित करने के लिए शेष वित्तीय सहायता के लिए रा.स.वि.नि. से संपर्क किया था। परिणामस्वरूप, जुलाई 2016 में, रा.स.वि.नि. ने 27.06.2016 को आयोजित अपनी 197 वीं बैठक में अपने प्रबंधन बोर्ड (बीओएम) के अनुमोदन से 88.55 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत पर 25,920 स्पिंडल की नई स्पिनिंग मिल की स्थापना के लिए सोसायटी को 57.28 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के लिए मंजूरी दी, जिसमें सावधि ऋण के रूप में 44.00 करोड़ रुपये और सीएसआईएसएसी राजसहायता के रूप में 13.28 करोड़ रुपये शामिल हैं। तथापि, चूंकि सावधि ऋण जारी किए जाने के समय सीएसआईएसएसी राजसहायता उपलब्ध नहीं थी, इसलिए परियोजना के कार्यान्वयन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, सोसायटी के अनुरोध पर राजसहायता के स्थान पर ऋण के रूप में 11.36 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई थी। इस संबंध में, समिति ने आगे नोट किया कि 18.12.2020 की स्थिति के अनुसार, 13.28 करोड़ रुपये की कुल स्वीकृत सीएसआईएसएसी राजसहायता में से 13.13 करोड़ रुपये की पात्र

राजसहायता पहले ही सोसायटी को संवितरित की जा चुकी थी। तथापि, सोसायटी द्वारा अंतिम व्यय विवरण और परियोजना पूर्णता रिपोर्ट प्रस्तुत करने और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन 0.15 करोड़ रुपए की शेष राजसहायता राशि पर विचार किया जाएगा।

जहां तक संदर्भाधीन सोसाइटी को सीएसआईएसएसी राजसहायता के संवितरण का संबंध है, समिति को घटनाओं के उपर्युक्त कालानुक्रम को देखने के उपरांत, इस बात से निराशा हुई है कि यद्यपि सीएसआईएसएसी राजसहायता वर्ष 2016 में ही सोसाइटी को स्वीकृत की गई थी, तथापि, 21.09.2020 तक, 13.28 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि में से केवल 3.23 करोड़ रुपये संवितरित किए गए थे, वह भी राजसहायता के बदले ऋण के रूप में। समिति यह भी नोट कर चिंतित है कि अभ्यावेदनकर्ता श्री कैलाश गोरख पाटिल द्वारा इस अनुरोध के साथ लोक सभा की याचिका समिति से संपर्क करने के बाद ही सोसायटी को सीएसआईएसएसी राजसहायता के रूप में 9.90 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई थी। मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, समिति इस तथ्य का संज्ञान लेती है कि 25,920 स्पिंडल की अनुमोदित क्षमता में से, सोसाइटी ने 17,280 स्पिंडल के उत्पादन की क्षमता प्राप्त कर ली है और 24.03.2017 को वाणिज्यिक उत्पादन भी शुरू कर दिया गया तथा इसके तुरंत बाद 29.02.2020 को 4,320 स्पिंडल जोड़े गए हैं। इसके अलावा, सोसायटी ने पहले से ही 25,920 स्पिंडल के उत्पादन के लिए सभी मशीनरी और उपकरण संस्थापित कर लिए हैं। ऐसे में, समिति यह समझने में असमर्थ है कि सोसायटी को पूरी सीएसआईएसएसी राजसहायता राशि जारी करने में सरकार के समक्ष कौन सी बाधा आ रही है। इसलिए, समिति सहकारिता मंत्रालय/राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (रा.स.वि.नि.) से पुरजोर सिफारिश करती है कि वह सोसायटी को सीएसआईएसएसी राजसहायता के शेष 0.15 करोड़ रुपये की राशि तत्काल जारी करे"।

5. सहकारिता मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में बताया:-

*"राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ने पत्र संख्या एनसीडीसी: 20-3/2016-टेक्स/493/आरबी10504 दिनांक 31.03.2022 (अनुलग्नक-I में प्रति संलग्न) के द्वारा पहले ही 0.15 करोड़ रुपये की शेष सीएसआईएसएसी राजसहायता का संवितरण कर दिया है और तदनुसार, परियोजना के लिए 13.28 करोड़ रुपये की पूर्ण स्वीकृत सीएसआईएसएसी राजसहायता समिति को पहले ही संवितरित कर दी गई थी।*

6. प्रतिवेदन के अनुच्छेदों 19, 20 और 21 में समिति ने निम्नानुसार टिप्पणी/सिफारिश की थी:-

*<u>बकाया ऋणों के संदर्भ में अधिस्थगन अवधि को बढ़ाना और पुनर्भुगतान अवधि को 10 वर्ष करना</u>*

*"कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)/सहकारिता मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, समिति नोट करती है कि फरवरी 2017 में, रा.स.वि.नि. ने 5 वर्ष की अवधि के लिए सोसायटी को 15.00 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी (डब्ल्यूसी) का ऋण मंजूर किया था, जो वित्तीय/प्रचालनात्मक निष्पादन के आधार पर वार्षिक रूप में पुनर्नवीकरण के अध्याधीन था। कार्यशील पूंजी ऋण सुविधा को 16.12.2018 तक नवीनीकृत किया गया था। तथापि, वित्तीय स्थिति में गिरावट के साथ-साथ 05.03.2019 से सावधि ऋण किस्त (किस्तों) और 22.02.2019 से कार्यशील पूंजी ऋण किस्तों के पुनर्भुगतान में सोसायटी द्वारा कथित चूक के कारण 16.12.2018 से आगे कार्यशील पूंजी ऋण सुविधा का नवीनीकरण नहीं किया गया। सोसायटी ने 16.03.2020 तक 2.45 करोड़ रुपये का आंशिक भुगतान किया और दिनांक 20.03.2020 के पत्र के माध्यम से ब्याज के साथ बकाया ऋणों के पुनर्निर्धारण/पुनर्गठन के लिए अनुरोध किया। विवेकपूर्ण ऋण मानदंडों का*

अनुपालन करते हुए जांच और आगे की संवीक्षा के आधार पर रा.स.वि.नि. ने दिनांक 11.09.2020 के पत्र सं एनसीडीसी: 20-3-2016-टैक्स के माध्यम से बकाया ऋणों के पुनर्निर्धारण/पुनर्गठन के लिए अनुमोदन प्रदान किया। परिणामस्वरूप, रा.स.वि.नि. का 73.37 करोड़ रुपये का संपूर्ण अतिदेय/बकाया, जिसमें 49.69 करोड़ रुपये का सावधि ऋण और 10.49 करोड़ रुपये का कार्यशील पूंजी ऋण तथा 13.19 करोड़ रुपये का देय ब्याज शामिल है, 8 वर्षों की अवधि (यानी, 05.03.2021 से, हर वर्ष 5 मार्च और 5 सितंबर को देय 16 छमाही किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य) के लिए पुनर्गठित किया गया। पुनर्निधारण/पुनर्गठन के बाद, 05/03/2021 को सोसाइटी द्वारा देय किस्त को भारत सरकार से 9.90 करोड़ रुपये की सीएसआईएसएसी राजसहायता के संवितरण के माध्यम से समायोजित किया गया था। तत्पश्चात् सोसाइटी ने ₹3.10 करोड़ का आंशिक भुगतान किया और 05.09.2021 को देय किस्त के पुनर्भुगतान में चूक की। रा.स.वि.नि. अधिकारियों की एक टीम ने 29.10.2021 को सोसायटी का दौरा किया ताकि उसकी प्रचालन संबंधी समस्याओं का अध्ययन किया जा सके और उसके अतिदेय को कम करने में सहायता प्रदान की जा सके। तत्पश्चात, सोसाइटी ने एनसीडीसी के सम्पूर्ण बकाया राशि को 15.11.2021 तक चुकाने हेतु अपनी कार्य योजना प्रस्तुत की है। हालांकि, सोसायटी अपने वादे को पूरा नहीं कर सकी। 07.04.2022 तक, सोसाइटी ने 8.58 करोड़ रुपये का कुल आंशिक भुगतान किया था और इस प्रकार, 13.04.2022 तक, कुल अतिदेय 8.49 करोड़ रुपये है जिसमें 6.70 करोड़ रुपये का मूलधन और 1.79 करोड़ रुपये का ब्याज शामिल है और बकाया ऋण 66.31 करोड़ रुपये है।

कोविड-19 महामारी और रुक-रुक कर लग रहे लॉकडाउन के मद्देनजर, भारत सरकार ने प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र के लिए ब्याज की छूट, ऋणों का पुनर्गठन, अधिस्थगन अवधि

*प्रदान करना आदि जैसे विभिन्न नीतिगत पहलें की थीं। इस संबंध में, समिति एमएसएमई पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) और खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा किए गए हालिया अध्ययन के निष्कर्षों को भी रिकॉर्ड में रखने की इच्छा व्यक्त करती है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह पता चला है कि पांच सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे लिक्विडिटी (नकदी), नए ऑर्डर, श्रम-शक्ति, एमएसएमई में लॉजिस्टिक्स और कच्ची सामग्री की उपलब्धता है उनमें से 'लिक्विडिटी की उपलब्धता' ऐसी समस्या है जिनका सामना 55 प्रतिशत इकाइयां कर रही हैं। उपरोक्त आश्चर्यजनक तथ्य के साथ-साथ सोसाइटी अर्थात चोपडा तालुका शेतकारी सहकारी सूतगिरनी मर्यादित के समग्र कार्य-निष्पादन के संबंध में, समिति का सुविचारित मत है कि सोसायटी इस क्षेत्र के 400 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करने के साथ-साथ 11,300 से अधिक कपास उगाने वाले किसानों जो सोसायटी के सदस्य भी हैं, को आजीविका का एक निर्बाध स्रोत प्रदान करने का उत्कृष्ट कार्य करती है। इसके अलावा, सोसायटी भी क्षेत्र के हजारों गरीब लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्रदान करके एक अग्रदूत की भूमिका के रूप में आई है। इसलिए, समिति का मानना है कि चोपडा तालुका शेतकारी सहकारी सूतगिरनी मर्यादित की वाणिज्यिक गतिविधियों, जो कोविड-19 से पहले और बाद के समय में काफी हद तक कम हो गई थी, पर सरकार द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उन्हें हर संभव सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता है ताकि वे निरंतरता के लिए खतरों से निपट सकें।*

*सोसायटी की प्रचालनात्मक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि सहकारिता मंत्रालय/एनसीडीसी को ऋण के पुनर्भुगतान के लिए अधिस्थगन अवधि बढ़ाने संबंधी सोसायटी के अनुरोध पर शीघ्रता से विचार*

*करना चाहिए और उनकी प्रचालनात्मक समस्याओं को दूर करने के लिए मौजूदा ऋण को पुनर्निर्धारित/पुनर्नियोजित करने की संभावना का पता लगाना चाहिए"।*

7. सहकारिता मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में बताया:-

*"रा.स.वि.नि. ने पत्र दिनांक 11.09.2020 (**अनुलग्नक-II**) में प्रति संलग्न) द्वारा पहले ही समिति के कार्यशील पूंजी ऋण को समाहित करके बकाया ऋणों को ब्याज के पूंजीकरण के साथ पुनर्गठन कर दिया था।*

*हालांकि, समिति द्वारा फिर किश्त अदायगी में चूक की गई ।संसदीय समिति की अनुशंसा पर विचार करते हुए, रा.स.वि.नि. की टीम ने वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए दिनांक 19/10/2022 से 21/10/2022 के दौरान समिति का दौरा किया। रा.स.वि.नि. की टीम के साथ, समिति के अधिकारियों के विस्तृत विचार-विमर्श के आधार पर, समिति ने पत्र दिनांक 20/10/2022 (**अनुलग्नक-III**) में प्रति संलग्न) के माध्यम से ₹4.58 करोड़ के मूलधन तथा ₹6.28 करोड़ के ब्याज (वास्तविक भुगतान की तिथि तक अतिरिक्त ब्याज सहित) भुगतान करने तथा बकाया मूलधन ₹6.70 करोड़ को, शेष 12 देय किश्तों में समान रूप से संवितरित करके, स्थगित करने का अनुरोध, रा.स.वि.नि. को प्रस्तुत करने पर सहमत हुई है"।*

8. प्रतिवेदन के अनुच्छेदों 22 और 23 में समिति ने निम्नानुसार टिप्पणी/सिफारिश की थी:-

*<u>अतिरिक्त कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना</u>*

*"समिति यह नोट कर निराश है कि सहकारिता मंत्रालय ने सोसायटी के अतिरिक्त कार्यशील पूंजी ऋण की स्वीकृति और जारी करने हेतु किए गए अनुरोध को निम्नलिखित आधारों पर पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया है:-*

*(एक) सोसायटी ने सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी ऋण के पुनर्भुगतान में चूक की;*

*(दो) सोसायटी के विशेष अनुरोध पर, एनसीडीसी द्वारा पत्र सं. 20-3/2016-टीईएक्स दिनांक 11.09.2020 के माध्यम से सम्पूर्ण अतिदेय राशि को पुनर्नियोजित/पुनर्निर्धारित किया गया है;*

*(तीन) पुनर्गठित ऋण पैकेज के अनुसार, 10.49 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी को पूंजीकृत और पुनर्निर्धारित किया गया है और इसलिए उक्त राशि सोसाइटी के पास अपने दिन-प्रतिदिन के वाणिज्यिक कार्य-प्रचालन को पूरा करने के लिए उपलब्ध है;*

***(चार) सोसायटी ने पुनर्नियोजित/पुनर्निर्धारित ऋण के पुनर्भुगतान में फिर से चूक की है।***

*10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कार्यशील पूंजी प्रदान करने में सहकारिता मंत्रालय की अनिच्छा के बदले में, यह सूचित किया गया है कि सोसायटी द्वारा अतिदेय ब्याज की मंजूरी के अध्यधीन, किसी अन्य स्रोत (स्रोतों) से कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त करने के लिए एनसीडीसी अपनी परिसंपत्तियों पर 'अधीनस्थ प्रभार' बनाने की अनुमति देने पर विचार कर सकता है। सोसायटी के पुनरुद्धार के लिए विकासात्मक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और इस महत्वपूर्ण समय में जब देश की पूरी अर्थव्यवस्था पुन: मजबूती से पुनरुत्थान के पथ पर है, इसे वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए, समिति सहकारिता मंत्रालय/एनसीडीसी को सोसायटी, चोपड़ा तालुका शेतकरी सहकारी सूतगिरनी मर्यादित के अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की पुरजोर सिफारिश करती है ताकि उन्हें उनकी परिचालन समस्याओं को दूर करने के लिए 10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कार्यशील पूंजी प्रदान की जा सके"।*

9. सहकारिता मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नानुसार बताया:-

*"एनसीडीसी एनसीडीसी अधिनियम, 1962 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है और यह सहकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता का मूल्यांकन और वितरण अधिनियम और उसके लिए बनाए गए नियमों के अनुसार एनसीडीसी द्वारा किया जाता है।*

*आगे, जैसे कि समिति चूक कर्ता है और रा.स.वि.नि. की सीधे वित्तपोषण के मानदंड को पूरा नहीं करती है, समिति रा.स.वि.नि. से अतिरिक्त सहायता के लिए योग्य नहीं है।*

*हांलाकि, संसदीय समिति के सुझाव को ध्यान में रखते हुए, रा.स.वि.नि. के अधिकारियों की एक टीम ने दिनांक 19/10/2022 से 21/10/2022 के दौरान, समिति की परिचालन कठिनाइयों को समझने के लिए समिति का दौरा किया।रा.स.वि.नि. की टीम के साथ, समिति के अधिकारियों के विस्तृत चर्चा के आधार पर, समिति ने पत्र दिनांक 20/10/2022 (**अनुलग्नक-III**) में प्रति संलग्न) के माध्यम से इंगित किया है कि वह, समिति की अचल संपत्तियों (वर्तमान में रा.स.वि.नि. के पास प्रथम प्रभार पर गिरवी हैं) पर दूसरे प्रभार के विरुद्ध बैंकों से कार्यशील पूंजी जुटाएगी और इस संबंध में समिति, रा.स.वि.नि. द्वारा एन.ओ.सी.(अनापत्ति प्रमाणपत्र) जारी करने पर विचार करने के लिए, बैंक से सशर्त स्वीकृति आदेश की प्रति प्रस्तुत करेगी"।*

10. प्रतिवेदन के अनुच्छेदों 22 और 23 में समिति ने निम्नानुसार टिप्पणी/सिफारिश की थी:-

*<u>राज्य सरकार की राजसहायता का लाभ उठाने के लिए इकाई के 'तकनीकी निरीक्षण' को पूरा करना और सोसाइटी को अविलम्ब प्रपत्र 'ग' जारी करना</u>*

समिति को यह बताया गया है कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित सहकारी कताई मिल के अंतर्गत यूनिट (टों) का तकनीकी निरीक्षण, महाराष्ट्र सरकार की अपेक्षाओं के अनुसार, देय राशियों पर एनसीडीसी की स्वीकृति और ऋण खाते को 'मानक' के रूप में माना जा रहा है, जो निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन है:-

(क) निधियों के स्रोतों के साथ-साथ सीए प्रमाणित विवरण के साथ समर्थित सोसायटी द्वारा किया गया घटक-वार वास्तविक व्यय;

(ख) परियोजना के कार्यान्वयन में घटक-वार वास्तविक प्रगति; और

(ग) परियोजना पूरी होने की रिपोर्ट।

सहकारिता मंत्रालय द्वारा समिति को यह भी सूचित किया गया कि महाराष्ट्र सरकार ने कताई मिलों को पूंजीगत राजसहायता प्रदान करके वस्त्र क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए वस्त्र नीति अपनाई है। योजना दिशानिर्देशों के अनुसार चूककर्ता इकाइयां राजसहायता/अनुदान के लिए पात्र नहीं हैं। तथापि, एनसीडीसी ने दिनांक 11.09.2020 के अपने पत्र के माध्यम से उस सोसाइटी जिसने 05.09.2021 को देय किस्त का पुनर्भुगतान नहीं कर पायी थी, के बकाया ऋणों को पुनर्निर्धारित/पुनर्गठित किया है, और इसलिए सोसायटी के ऋण खाते को 'अनियमित' माना गया था।

इस संबंध में, समिति ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि प्रश्नगत सोसायटी पहले ही परियोजना पूरी कर चुकी है; तथापि, उसने एनसीडीसी द्वारा किए जाने वाले कताई मिल यूनिटों के निरीक्षण हेतु अपेक्षित दस्तावेज अभी प्रस्तुत नहीं किये हैं। इसके अलावा, सहकारिता मंत्रालय ने समिति को सूचित किया है कि इसके परिचालन मुद्दों का अध्ययन करने और इसके बकाया को कम करने हेतु 'कार्य योजना' तैयार

*करने में मदद करने के लिए एनसीडीसी अधिकारियों के एक दल ने 29.10.2021 को सोसायटी का दौरा किया था। इस सन्दर्भ में, समिति का विचार है कि एनसीडीसी ने पहले ही प्रश्नगत सहकारी समिति की कार्यात्मक स्थिति के साथ-साथ उनके द्वारा सामना की जा रही वित्तीय समस्याओं के संबंध में विश्वसनीय जानकारी एकत्र कर ली है। इसके अलावा, वास्तव में, सोसायटी ने 07.04.2022 की स्थिति के अनुसार पुनर्निर्धारित/पुनर्गठित बकाया ऋण के विरूद्व 8.58 करोड़ रुपये का आंशिक भुगतान पहले ही कर दिया है और कुल अतिदेय राशि 8.49 करोड़ रू. की एक मामूली राशि है, जो इस बात का साक्ष्य है कि सोसायटी अपने सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी ऋण को धीरे-धीरे एनसीडीसी को चुका रही है और यह केवल कागजों पर चलाई जा रही एक काल्पनिक सोसाइटी/कंपनी नहीं है। उपर्युक्त तथ्यों पर विचार करते हुए, समिति अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए सहकारिता मंत्रालय/एनसीडीसी को सोसाइटी की सहायता करने की सिफारिश करती है ताकि फार्म 'ग' शीघ्र जारी करने के साथ-साथ इसकी कताई मिल यूनिटों का निरीक्षण जल्द से जल्द शुरू किया जा सके जिससे वे बिना किसी विलंब के राज्य सरकार की राजसहायता का लाभ उठा सकें"।*

11. सहकारिता मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नानुसार बताया:-

*"महाराष्ट्र सरकार की योजना के अनुसार, चूककर्ता इकाईयां, राज्य सरकार से पूंजीगत राजसहायता का दावा नहीं कर सकती हैं।*

*हालांकि, संसदीय समिति की अनुशंसा पर विचार करते हुए, रा.स.वि.नि. के अधिकारियों की टीम ने 19/10/2022 से 21/10/2022 के दौरान समिति का दौरा किया तथा महाराष्ट्र सरकार की योजना की आवश्यकताओं के अनुसार स्थापित मशीनरी का तकनीकी निरीक्षण किया। निरीक्षण रिपोर्ट (**अनुलग्नक-IV** में प्रति संलग्न) समिति को उपलब्ध करा दी गई है ताकि समिति योजना*

*दिशानिर्देशों के अनुसार राजसहायता लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सके"।*

## टिप्पणियां/सिफारिशें

### केंद्रीय क्षेत्र एकीकृत कृषि सहयोग योजना (सीएसआईएसएसी) और ऐसी अन्य केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत सब्सिडी समय पर जारी करना

12. श्री कैलाश गोरख पाटिल के अभ्यावेदन में उठाए गए मुद्दों की जांच करते समय समिति को यह जानकर निराशा हुई कि सीएसआईएसएसी के तहत सोसाइटी को सब्सिडी वर्ष 2016 में ही मंजूर की गई थी, हालांकि, 21.09.2020 तक, 13.28 करोड़ की स्वीकृत राशि में से केवल 3.23 करोड़ की राशि वितरित की गई थी और यह स्वीकृत सब्सिडी के बदले ऋण राशि के रूप में दी गई। बाद में सोसायटी को सीएसआईएसएसी सब्सिडी के रूप में 9.90 करोड़ रुपये भी वितरित किए गए। इस संबंध में समिति ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया था कि 25,920 स्पिंडल की अनुमोदित क्षमता में से सोसाइटी ने 17,280 स्पिंडल का उत्पादन करने की क्षमता प्राप्त कर ली थी और इसने 24.03.2017 को वाणिज्यिक उत्पादन भी शुरू कर दिया था तथा उसके तुरंत बाद 29.02.2020 को फिर से 4,320 स्पिंडल शामिल किया था। इस सोसाइटी ने पहले ही कुल 25,920 स्पिंडल के उत्पादन के लिए सभी मशीनरी और उपकरण स्थापित कर दिए थे। इसलिए समिति ने सहकारिता मंत्रालय और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) से

सिफारिश की थी कि वे सीएसआईएसएसी सब्सिडी के रूप में शेष 0.15 करोड़ रुपये राशि चोपडा तालुका शेतकारी सहकारी सूतगिरनी मर्यादित को तत्काल जारी करें।

13. समिति की उपर्युक्त सिफारिश के उत्तर में सहकारिता मंत्रालय ने अपने की-गई कार्रवाई उत्तर में बताया है कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने अपने पत्र सं.-एनसीडीसी:20-3/2016-टेक्स/493/आरबी10504, दिनांक 31.03.2022 के तहत पहले ही 0.15 करोड़ रुपये की शेष सीएसआईएसएसी सब्सिडी का वितरण कर दिया था और तदनुसार, परियोजना के लिए 13.28 करोड़ रुपये की कुल स्वीकृत सीएसआईएसएसी सब्सिडी सोसाइटी को वितरित कर दी गई थी।

14. हालांकि समिति यह स्वीकार करती है कि संदर्भाधीन सोसायटी द्वारा शुरू की गई परियोजना के लिए 13.28 करोड़ रुपये की पूरी स्वीकृत सीएसआईएसएसी सब्सिडी राशि अब एनसीडीसी द्वारा वितरित की गई है, लेकिन यह चिंता का विषय है कि पूरी सब्सिडी राशि का वितरण अभ्यावेदनकर्ता श्री कैलाश गोरख पाटिल द्वारा याचिका समिति, लोक सभा से अनुरोध करने और परिणामस्वरूप समिति के हस्तक्षेप से संभव हो सका। समिति का दृढ़ मत है कि चूंकि सहकारी समितियां अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित होती हैं और अनिवार्य रूप से वे कृषि क्षेत्र भी कार्यरत होती हैं, इसलिए सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह सब्सिडी और

ऐसे अन्य लागू अनुदानों/निधियों के माध्यम से वित्तीय सहायता का समय पर संवितरण सुनिश्चित करके समितियों के लिए एक प्रभावी और महत्वपूर्ण सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करे जिससे गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में जीवंत सहकारी आंदोलन का लाभ उठाया जा सके और स्थानीय आबादी को रोजगार देकर असमानता को कम किया जा सके। इस संदर्भ में, समिति की आशा है और यह विश्वास करती है कि सहकारिता मंत्रालय 'सहकारी से समृद्धि' के मंत्र को लागू करने के लिए एनसीडीसी और उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन ऐसे अन्य संगठनों के माध्यम से सीएसआईएसएसी और ऐसी अन्य केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत सब्सिडी/वित्तीय सहायता के समय पर वितरण को सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित और आवश्यक उपाय करेगा।

***बकाया ऋणों के संबंध में अधिस्थगन अवधि बढ़ाना और पुनर्भुगतान अवधि को पुनर्निर्धारित करना***

15. कोविड-19 पूर्व-और-पश्च परिदृश्य के कारण संदर्भाधीन सोसाइटी के सामने आ रही परिचालनात्मक कठिनाइयों और इसके प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए समिति ने सिफारिश की थी कि सहकारिता मंत्रालय/एनसीडीसी को ऋण के पुनर्भुगतान के लिए अधिस्थगन अवधि बढ़ाने के संबंध में सोसाइटी के अनुरोध पर शीघ्र विचार करना चाहिए और उनकी परिचालन समस्याओं को दूर

करने हेतु मौजूदा ऋण को पुनर्निर्धारित/पुनर्गठित करने की संभावना का पता लगाना चाहिए।

16. उपर्युक्त सिफारिश के प्रत्युत्तर में सहकारिता मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में बताया है कि एनसीडीसी ने अपने दिनांक 11.09.2020 के पत्र के तहत ब्याज के पूंजीकरण के साथ कार्यशील पूंजी ऋण सहित सोसाइटी के पूरे बकाया ऋणों का पहले ही पुनर्गठन कर दिया था। इसके अलावा, याचिका समिति की सिफारिशों पर विचार करते हुए एनसीडीसी की टीम ने जमीनी यथार्थ का आकलन करने के लिए 19.10.2022 से 21.10.2022 तक सोसाइटी का दौरा किया था और सोसाइटी के अधिकारियों के साथ एनसीडीसी टीम के विस्तृत विचार-विमर्श के आधार पर सोसाइटी ने 20.10.2022 के अपने पत्र के तहत 4.58 करोड़ रुपये की मूल राशि और 6.28 करोड़ रुपये की ब्याज की राशि का वास्तविक भुगतान की तारीख तक भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की थी। इसके अलावा, सोसाइटी को एनसीडीसी से अनुरोध करना था कि वह 6.70 करोड़ रुपये के मूल अतिदेय राशि को शेष 12 किस्तों में समान रूप से वितरित करके भुगतान की सीमा को आगे बढ़ाया जाए।

17. समिति को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि एनसीडीसी की टीम ने याचिका समिति के कहने पर सोसाइटी के जमीनी यथार्थ का आकलन करने के लिए अक्टूबर,

2022 के दौरान सोसाइटी का दौरा किया था और सोसाइटी के अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श करने के बाद 'अतिदेय भुगतान की शर्तों' को अंतिम रूप दिया गया था। समिति का मत है कि सहकारिता मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एनसीडीसी और उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन ऐसे अन्य संगठन, जो वित्तपोषण/उधार देने वाली संस्थाओं के रूप में कार्य करते हैं, को सहकारी समितियों की वित्तीय आवश्यकता पैटर्न का विवेकसम्मत ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा, उन्हें विकट वित्तीय संकट के समय ऐसी सभी समितियों के समक्ष आ रही समस्याओं की पहचान करने में भी सक्षम होना चाहिए और उत्पादन के मामले में उनकी पूर्ण क्षमता का उपयोग हो इसके लिए उनकी शिकायतों का समाधान करने में मदद करनी चाहिए और गैर-प्रतिबंधात्मक वातावरण में हायर की गई उनकी कुल कार्मिक शक्ति का उपयोग करने में भी मदद करनी चाहिए। इस संदर्भ में समिति को आशा है कि सहकारिता मंत्रालय/एनसीडीसी यह सुनिश्चित करेगा कि बकाया ऋणों के संबंध में ऋण स्थगन अवधि में वृद्धि करना, पुनर्भुगतान अवधि का पुनर्निर्धारण करना आदि जैसे उपायों को सही तरीके से लिया जाए ताकि पीड़ित सहकारी समितियों को वित्तीय संकट की स्थिति को रोकने में मदद मिल सके।

## अतिरिक्त कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना

18. सोसाइटी के पुनरुद्धार के लिए सोसाइटी की विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और जब देश की पूरी अर्थव्यवस्था महामारी के बाद पुनः मजबूती से पुनरुद्धार के क्रम में है, ऐसे कठिन समय में समिति ने सोसाइटी अर्थात चोपडा तालुका

शेतकारी सहकारी सूत गिरनी मर्यादित को वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय /एन सी डी सी से इस सोसाइटी की परिचालन समस्याओं को दूर करने के लिए 10 करोड़ रू. की अतिरिक्त कार्यशील पूंजी प्रदान करने के अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की जोरदार सिफारिश की थी।

19. उपर्युक्त सिफारिश के अनुसरण में सहकारिता मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में यह बताया है कि एनसीडीसी अधिनियम, 1962 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुरूप एनसीडीसी द्वारा सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता का मूल्यांकन और संवितरण किया जाता है। इसके अतिरिक्त विचाराधीन सोसाइटी ने चूक की है और एनसीडीसी के प्रत्यक्ष वित्तपोषण मानदंडों को पूरा नहीं करती है इसलिए वह एनसीडीसी से आगे सहायता के लिए पात्र नहीं है । तथापि याचिका समिति की सिफारिशों पर विचार करते हुए एनसीडीसी के अधिकारियों के एक दल ने सोमाइटी के सामने आ रही परिचालन कठिनाइयों को समझने के लिए दिनांक 19.10.2022 से 21.10.2022 तक सोसाइटी का दौरा किया था। सोसाइटी के अधिकारियों के साथ एनसीडीसी टीम की विस्तृत चर्चा के आधार पर सोसाइटी ने दिनांक 20.10.2022 के अपने पत्र के माध्यम से संकेत दिया कि वह बैंकों से अपनी अचल संपत्तियों (वर्तमान में पहले प्रभार के लिए एनसीडीसी के पास गिरवी रखी गई) पर दूसरे प्रभार के द्वारा कार्यशील पूंजी जुटाएगी और अपेक्षित एनओसी जारी करने पर विचार करने के लिए एनसीडीसी को सशर्त स्वीकृति आदेश (बैंक से प्राप्त की जाने वाली) की एक प्रति प्रस्तुत करेगी।

20. समिति को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि उनकी सिफारिशों के अनुसरण में एनसीडीसी ने सोसाइटी के अधिकारियों के साथ एक व्यवस्थित चर्चा करने की बहुप्रतीक्षित पहल की, जिसमें सोसाइटी द्वारा इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि वह सोसाइटी की अचल संपत्तियों पर दूसरे प्रभार के द्वारा बैंकों से 'कार्यशील पूंजी ऋण' जुटाएगा। इस संबंध में समिति आशा करती है कि सहकारिता मंत्रालय/एनसीडीसी संबंधित बैंक से कार्यशील पूंजी के लिए सशर्त स्वीकृति आदेश प्रस्तुत करने के बाद सोसाइटी को आवश्यक एनओसी जारी करना सुनिश्चित करेगा। समिति इस संबंध में अद्यतन स्थिति से अवगत होना चाहेगी।

## ***सोसाइटी को फॉर्म 'सी' जारी करना और राज्य सरकार की योजना के तहत सब्सिडी प्रदान करना***

21. समिति ने सहकारिता मंत्रालय/एनसीडीसी से सिफारिश की थी कि वह सोसाइटी को अपनी स्पिनिंग मिल यूनिटों के निरीक्षण के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में मदद करे ताकि फार्म 'सी' को शीघ्र जारी करने के साथ-साथ निरीक्षण यथाशीघ्र शुरू किया जा सके ताकि वे राज्य सरकार की सब्सिडी का लाभ उठा सकें।

22. उपर्युक्त सिफारिश के उत्तर में सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार की योजना के अनुसार चूककर्ता यूनिट राज्य सरकार से पूंजीगत सब्सिडी का दावा नहीं कर सकती हैं। तथापि, याचिका संबंधी संसदीय समिति की सिफारिशों पर विचार करते हुए एनसीडीसी के अधिकारियों के एक दल ने दिनांक 19.10.2022 से 21.10.2022 तक सोसाइटी का दौरा किया था और महाराष्ट्र सरकार की योजना की आवश्यकताओं के अनुसार संस्थापित मशीनरी का तकनीकी निरीक्षण किया था और बाद में सोसाइटी को निरीक्षण रिपोर्ट प्रदान की गई थी ताकि वह योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सके।

23. समिति सहकारिता मंत्रालय/एनसीडीसी के प्रयासों की सराहना करती है कि समिति की सिफारिशों के अनुसरण में एनसीडीसी अधिकारियों की एक टीम ने अक्टूबर, 2022 के दौरान सोसाइटी का दौरा किया और महाराष्ट्र सरकार की योजना की आवश्यकताओं के अनुसार तापी शेतकारी सहकारी सूतगिरनी लिमिटेड (जिसे पहले चोपडा तालुका शेतकारी सहकारी सूतगिरनी मर्यादित के नाम से जाना जाता था) जलगांव, महाराष्ट्र में स्थापित मशीनरी का ऑन द स्पॉट तकनीकी निरीक्षण और सत्यापन किया और ततसंबंधी निरीक्षण रिपोर्ट सोसाइटी को प्रदान की गई है ताकि वे सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के साथ इस मामले को उठाने में सक्षम हो सकें। तथापि, इस संबंध में समिति यह सुनिश्चित करेगी कि सहकारिता मंत्रालय/एनसीडीसी यह सुनिश्चित करे कि विचाराधीन सोसाइटी को निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने में कोई तकनीकी और प्रक्रियात्मक कमी न हो और/अथवा विलंब न हो और उन्हें महाराष्ट्र राज्य सरकार से निर्बाध रूप से सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने में सहायता मिल सके। समिति इस संबंध में अद्यतन स्थिति से अवगत होना चाहेगी।

**नई दिल्ली,**

**श्री हरीश द्विवेदी**
**सभापति,**
**याचिका समिति**

**23 मार्च, 2023**
**02 चैत्र, 1945 (शक)**

अनुलग्नक - I

Annex-I


राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

NATIONAL COOPERATIVE DEVELOPMENT CORPORATION

An ISO-9001:2015 Certified Organization

A Statutory Corporation Under the Ministry of Cooperation, Government of India

**Textile Division**

NCDC *Assisting Cooperatives. Always!*

Tel.No. 011-26961930
Fax : 011-26961930, 26516032
E-mail: textile@ncdc.in

4-Siri Institutional Area,
Hauz Khas, New Delhi-110016 India
Website: www.ncdc.in


No. NCDC: 20-3/2016-Tex/493/RB10504 Dated: 31/03/2022

To

The Chairman,
Tapi Shetkari Sahakari Soot Girni Limited,
Krushi Utpanna Bazar Samiti Awar, Taluk Chopda,
District Jalgaon, Maharashtra – 425107

**Sub: Release of financial assistance to Tapi Shetkari Sahakari Soot Girni Limited (Erstwhile Chopda Taluka Shetkari Sahakari Soot Girni Limited), District Jalgaon, Maharashtra for establishment of new Spinning Mill under Central Sector Integrated Scheme on Agriculture Cooperation (CSISAC) through direct funding – Regarding.**

Sir,

I am directed to refer to NCDC sanction letter No. NCDC: 20-3/2016-Tex/64/SA60041 dated 06/07/2016 and NCDC latest release letter No.NCDC:20-3/2016-Tex/260/RB00275 dated 18/12/2020 vide which NCDC has so far disbursed Term Loan of ₹4400.00 lakh, CSISAC subsidy of ₹1312.95 lakh and Interest bearing loan in lieu of subsidy of ₹988.525 lakh to Tapi Shetkari Sahakari Soot Girni Limited for establishment of new spinning mill as CSISAC subsidy was not available at the time of release. Since NCDC has received CSISAC subsidy from GoI now, I am directed to convey the approval of this Corporation for payment of balance eligible CSISAC subsidy of ₹15.30 lakh (comprising ₹13.692 lakh under general category, ₹1.104 lakh under SCSP category & ₹0.504 lakh under TSP category) to Tapi Shetkari Sahakari Soot Girni Limited, District Jalgaon, Maharashtra.

2. The CSISAC subsidy amount of ₹15.30 lakh (Rupees Fifteen Lakh Thirty Thousand only) is being adjusted against the overdue amount payable by Tapi Shetkari Sahakari Soot Girni Limited as the society has defaulted in repayment of installment dues payable on 05/09/2021 & 05/03/2022.

3. The release of assistance sanctioned above shall be governed by the terms and conditions as contained in the sanction letter and annexure to this letter. The other terms and conditions shall, however, remain the same as communicated vide this Corporation's letter No. NCDC:1-1/84-Budt. dated 15.10.1984 and No. NCDC:1-1/90-Budt. dated 07/10/2021 and as amended from time to time.

4. The validity of sanction is extended upto 30/04/2022 for the purpose of disbursement of subsidy.

Yours faithfully,

(Prabu Paulraj)
Director (Textile)

वस्त्र विभाग
Textile Division
प्रेषण सं०/Despatch No. 1-4 (वस्त्र)
दिनांक/Date. 31/03/2022

Copy to:

1. Secretary to the Government of India, Ministry of Cooperation, Krishi Bhawan, New Delhi – 110001.

2. The Under Secretary (Cooperation), DAC&FW, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Krishi Bhawan, New Delhi – 110001.

3. The Regional Director, NCDC, Pune.

4. The Director (Loan), NCDC, New Delhi – with a request to adjust CSISAC subsidy of ₹15.30 lakh (Rupees Fifteen Lakh Thirty Thousand only) against the overdue amount payable, on the date of issue of this letter, by Tapi Shetkari Sahakari Soot Girni Limited, District Jalgaon, Maharashtra by way of release & recovery. After adjustment, revised demand note for payment of balance overdue amount payable by the society be raised.

5. The Assistant Director (Budget), NCDC, New Delhi.

(Prabu Paulraj)
Director (Textile)

Annexure

NATIONAL COOPERATIVE DEVELOPMENT CORPORATION
(Textile Division)

Annexure to Financial Release Letter No.NCDC: 20-3/2016-Tex/493/RB10504 dated 31/03/2022

<table>
<tr><td>1</td><td>Name of the Borrower</td><td>Tapi Shetkari Sahakari Soot Girni Limited (Formerly Chopda Taluka Shetkari Sahakari Sootgirni Maryadit), District Jalgaon, Maharashtra</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Amount sanctioned by NCDC</td><td><table><tr><td>Term Loan</td><td>4400.00</td></tr><tr><td>CSISAC Subsidy</td><td>1328.25</td></tr><tr><td>Total</td><td>5728.25</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>3</td><td>Amount so far released by NCDC.</td><td><table><tr><td>Term Loan</td><td>4400.000</td></tr><tr><td>CSISAC Subsidy</td><td>1312.950</td></tr><tr><td>Interest bearing loan in lieu of subsidy</td><td>988.525#</td></tr><tr><td>Total</td><td>6701.475#</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>4</td><td>Amount being released under this letter</td><td>CSISAC Subsidy: ₹15.30 lakh comprising ₹13.692 lakh under general category, ₹1.104 lakh under SCSP category & ₹0.504 lakh under TSP category.<br>[This subsidy amount is being adjusted against the overdue amount payable by Tapi Shetkari Sahakari Soot Girni Limited on the date of issue of this letter]</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Progressive release including (4) above</td><td><table><tr><td>Term Loan</td><td>4400.000</td></tr><tr><td>CSISAC Subsidy</td><td>1328.250</td></tr><tr><td>Interest bearing loan in lieu of subsidy</td><td>988.525#</td></tr><tr><td>Total</td><td>6716.775#</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>6</td><td>Details of progressive release of subsidy as per membership in the society</td><td><table><tr><th>Description</th><th>SC</th><th>ST</th><th>Others</th><th>Total</th></tr><tr><td>Membership (%)</td><td>7.23</td><td>3.29</td><td>89.48</td><td>100</td></tr><tr><td>Eligible subsidy under said category based on actual eligible expenditure incurred so far</td><td>96.030</td><td>43.700</td><td>1188.520</td><td>1328.25</td></tr><tr><td>Subsidy released so far under the said category</td><td>94.926</td><td>43.196</td><td>1174.828</td><td>1312.95</td></tr><tr><td>Subsidy being released under this letter to said category</td><td>1.104</td><td>0.504</td><td>13.692</td><td>15.30</td></tr><tr><td>Progressive release of subsidy under said category including above</td><td>96.030</td><td>43.700</td><td>1188.520</td><td>1328.25</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>7</td><td>Scheme under which the funds is being released.</td><td>Under Component-II of CSISAC Scheme – Assistance to Cooperative Spinning Mills.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Activity</td><td>Textile</td></tr>
</table>

# CSISAC subsidy is not adjusted against interest bearing loan in lieu of subsidy as this loan has already been capitalized as a part of reschedulement / restructuring package conveyed vide NCDC letter No. NCDC: 20-3/2016-Tex dated 11/09/2020, which has since been accepted by the society through its Board resolution.

(Prabu Paulraj)
Director (Textile)

अनुलग्नक-II

Annex-II


**NATIONAL COOPERATIVE DEVELOPMENT CORPORATION**

An ISO-9001:2015 Certified Organization

A Statutory Corporation Under the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Government of India

NCDC
*Assisting Cooperatives. Always!*

**Textile Division**

Tel.No. 011-26961930
Fax : 011-26961930, 26516032
E-mail: pprabu@ncdc.in

4-Siri Institutional Area,
HauzKhas, New Delhi-110016 India
Website: www.ncdc.in


No. NCDC: 20-3/2016-Tex

Date: 11/09/2020

To

The Chairman,
Chopda Taluka Shetkari Sahakari Sootgirni Maryadit,
Krushi Utpanna Bazar Samiti Awar,
Taluk Chopda, District Jalgaon, Maharashtra – 425107

**Sub: Request of Chopda Taluka Shetkari Sahakari Sootgirni Maryadit, District Jalgaon, Maharashtra for re-schedulement of its outstanding loans along with interest. – regarding**

Ref: NCDC TL sanction letter no. NCDC: 20-3/2016-Tex/64/SA60041 dated 06.07.2016 and WC loan sanction letter No.NCDC:24-8/2016-Tex/291/SA60217 dated 15.02.2017

Sir,

I am directed to refer to your letter No. 06/20-21 dated 04.06.2020 and subsequent email messages, requesting NCDC for re-schedulement of outstanding term loan & working capital loan along with interest and to inform that the request of the society has been considered and examined.

2. Accordingly, I am directed to convey the approval of this Corporation for re-schedulement / restructuring of overdue/outstanding NCDC loans of ₹6017.86577 lakh comprising term loan of ₹4968.76854 lakh and working capital loan of ₹1049.09723 lakh along with capitalization of interest payable of ₹1318.63087 lakh as on 23.06.2020 comprising overdue interest of ₹1192.69625 lakh and interest not yet due of ₹125.93462 lakh, for the period of 8 years (i.e., repayable in 16 half yearly installments payable on 5th March & 5th September of every year w.e.f. 05/03/2021) on the following terms and conditions:

a) Re-schedulement shall be effective from 23/06/2020. After rescheduling / restructuring, total outstanding term loan is ₹7336.49664 lakh and the applicable effective rate of interest is 10.96 % p.a. on monthly compounding basis (Calculated on weighted average). Accordingly, the revised repayment reschedule is as under:

| S. No. | Installment due date | Principal to be repaid (Amount in ₹) |
|---|---|---|
| 1 | 5th March 2021 | 45853000 |
| 2 | 5th September 2021 | 45853000 |
| 3 | 5th March2022 | 45853000 |
| 4 | 5th September 2022 | 45853000 |
| 5 | 5th March 2023 | 45853000 |
| 6 | 5th September 2023 | 45853000 |
| 7 | 5th March 2024 | 45853000 |
| 8 | 5th September 2024 | 45853000 |

24

No. 111-112

14/09/2020

| S. No. | Installment due date | Principal to be repaid (Amount in ₹) |
|---|---|---|
| 9 | 5th March 2025 | 45853000 |
| 10 | 5th September 2025 | 45853000 |
| 11 | 5th March 2026 | 45853000 |
| 12 | 5th September 2026 | 45853000 |
| 13 | 5th March 2027 | 45853000 |
| 14 | 5th September 2027 | 45853000 |
| 15 | 5th March 2028 | 45853000 |
| 16 | 5th September 2028 | 45854664 |
| | Total | 733649664 |

b) The society shall pay principal dues as per revised repayment reschedule given above. In addition to the principal dues, the society shall pay interest accrued from the date of re-schedulement (i.e. 23/06/2020) upto 4th March 2021, on or before 5th March 2021 and continue to make payment of interest on 5th September & 5th March of every year, till the settlement of entire dues of NCDC;

c) As the outstanding term loan is inclusive of interest bearing loan in lieu of subsidy, the CSISAC subsidy as and when received from DAC&FW and any other subsidy from Government of Maharashtra, will be adjusted in the ensuing installment due (or) if subsidy is in excess of installment due, it will be adjusted against outstanding term loan principal amount in such a way that the tail end of repayments would be advanced;

d) In case, payment of installment is not received on or before due date, normal rate (effective+ 1%) i.e., 11.96% p.a. would be applicable. In case of default in payment of installment, penal interest @ 2.5% p.a. over and above the normal rate of interest shall be charged on the defaulted installment of principal amount for the period of default and the benefit of weighted average interest rate will be withdrawn. The other terms and conditions of loans shall remain the same as already communicated vide sanction letters at reference above; and

e) The existing security for NCDC assistance shall continue without any dilution / alienation till the repayment of entire NCDC loans, interest, penal interest or other charges, if any.

3. **The above reschedulement is subject to the condition that the society would bring in extra capital to their own funds linked to operational profits to service NCDC debts.**

4. The society shall accept the revised repayment schedule on the above said terms & conditions and shall give an acknowledgement to this letter as a mark of acceptance.

Yours faithfully,

Prabu Paulraj
Director (Textile)

Copy to:

1. The Regional Director, NCDC, Pune.
2. The Chief Director (Loan cell), NCDC, New Delhi.
3. The Assistant Director (Budget), NCDC, New Delhi

Prabu Paulraj
Director (Textile)

अनुलग्नक- III

Annex-III

# Tapi Shetkari Sahakari Soot Girni Maryadit, Chopda

Reg. No. JGA/PRG/(A)/DH-6 Date 27.9.1991


| General Manager | Vice Chairman | Chairman |
|---|---|---|
| Mr. Vijay Patil | Mr. Prabhakar Bhimrao Patil | Mr. Kailash Gorakh Patil (Ex.MLA) |
| Mob. 8668310009 | Mob. 9822207690 | Mob. 9850407696 |
| Email - maintchopdacotspin@gmail.com | | Email - chopdacotspin2012@gmail.com |

Address : Gat No. 72 to 82, At & Post Akhatwade Tal. Chopda Dist. Jalgaon (Maharashtra) - 425107


Ref. Date : / / 202

Dated: 20-10-2022

To,
The Managing Director,
National Cooperative Development Corporation,
Hauz Khas, New Delhi - 110 016.

**Sub: Request for deferment of existing dues and permission to create second charge on assets.**

Sir,

Sootgrini is facing liquidity crunch and unable to pay current overdue of Rs.17.57 Cr comprising Rs.11.29 Cr of principal and interest of Rs. 6.28 Cr.

2. Sootgirni has assured that they are trying to raise funds from Banks against second charge on the assets of the society, presently mortgaged with NCDC. For this purpose, Sootgirni will furnish a conditional sanction order from the Bank along with a request to issue NOC for creating second charge on assets of the society in favour of bank.

3. Further, sootgirni has proposed that they will pay Rs. 4.58 Cr principal and interest of Rs. 6.28 Cr plus interest thereon till the actual date of payment and will request for deferment of overdue principal of Rs. 6.70 Cr by distributing it equally in remaining 12 instalments. Sootgirni further undertakes to pay its installments due from March, 2023 on time.

Yours faithfully

(Kailash Gorakh Patil)
Chairman

अनुलग्नक - IV

Annex-IV

**Email** **Textile Division**

**Report for the "on spot verification" of Tapi SSSG Ltd., District Jalgaon, Maharashtra, conducted on 20.10.2022 for assessing the eligible capital subsidy to be claimed from Government of Maharashtra - Regarding.**

**From :** Textile Division <textile@ncdc.in> Mon, Oct 31, 2022 08:20 PM

**Subject :** Report for the "on spot verification" of Tapi SSSG Ltd., District Jalgaon, Maharashtra, conducted on 20.10.2022 for assessing the eligible capital subsidy to be claimed from Government of Maharashtra - Regarding. 1 attachment

**To :** maintchopdacotspin <maintchopdacotspin@gmail.com>, chopdacotspin2012 <chopdacotspin2012@gmail.com>

**Cc :** RO Pune <ro.pune@ncdc.in>, Prabu Paulraj <pprabu@ncdc.in>, Ashutosh Shukla <ashutosh.shukla@ncdc.in>, Mohd Imtiyaz Khan <mohd.imtiyaz@ncdc.in>

Sir,

I am directed to attach herewith a copy of the inspection report for the "on spot verification" of Tapi SSSG Ltd., District Jalgaon, Maharashtra, conducted on 20.10.2022 for assessing the eligible capital subsidy to be claimed by the society from Government of Maharashtra (GOM), as per eligibility under GOM GRs dated 18.04.2016 and 16.01.2019.

2. Further, you are requested to note that **the date of commercial production of unit shall be 15.09.2021** i.e., the date when the society installed all requisite machineries & completed the project to start with sanctioned capacity of 25,920 spindles.

सादर/Regards

वस्त्र प्रभाग/Textile Division,
राष्ट्रीय सहकारी विकास

National Cooperative Development Corporation (NCDC)
(Textile Division)

Inspection report

(All cost figures in Lakh Rs.)

| S. No | Particulars of inspection | Comments of NCDC officers | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Date of inspection | 20 October 2022 | | |
| 2 | Name of the society assisted | Tapi Shetkari Sahakari Soot Girni Limited, (Erstwhile Chopda SSSG Ltd.) Tal. Chopda, Dist. Jalgaon, Maharashtra - 425107 | | |
| 3 | Registration no. and date | JGA/PRG/(A)/-DH-06 dated 27-09-1991 | | |
| 4 | PAN number | AABTC3123D | | |
| 5 | GSTIN registration number | 27AABTC3123D1ZC | | |
| 6 | Purpose of financial assistance sanctioned | Establishment of a New Spinning Mill of 25,920 spindles | | |
| 7 | a. Date of sanction | 06th July 2016 | | |
| | b. Period of loan (Years) | 8 Years | | |
| | c. Moratorium period (Years) | 2 Years from the date of disbursement of 1st installment loan | | |
| | d. Date of validity of sanction | 30.06.2018 & subsequently extended upto 30.04.2022 | | |
| 8 | Item-wise expenditure incurred in the project against approved cost | **Particulars** | **Approved cost** | **Actual expenditure incurred on completion of project** |
| | | Site Development | 69.43 | 70.47 |
| | | Building & Civil works | 1973.00 | 2299.41 |
| | | Plant & Machinery | 3685.22 | 3934.47 |
| | | Miscellaneous Fixed Assets | 1867.10 | 1900.90 |
| | | Pre-operative Expenses | 586.60 | 754.09 |
| | | Contingencies | 277.62 | 0.00 |
| | | Margin money for working capital | 396.03 | 396.03 |
| | | **Total** | **8855.00** | **9355.37** |
| 9 | Pattern of funding for the project | **Particulars** | **Approved source** | **Fund raised for completion of project** |
| | | Term loan from NCDC | 4400.00 | 4400.00 |
| | | Subsidy under CSISAC | 1328.25 | 1328.25 |
| | | HDFC Bank Term Loan | 0.00 | 497.68 |
| | | Society's contribution | 3126.75 | 3129.44 |
| | | **Total** | **8855.00** | **9355.37** |
| 10 | Date of commencement of production | Out of approved capacity of 25,920 spindles, the society completed 17,280 spindles and started commercial production on 25.02.2018 and then added 8,640 spindles on 15.09.2021 & completed the sanctioned project. As per latest available information, the society has installed all machinery and equipment for 25,920 spindles. | | |
| 11 | Installed capacity before implementation of project | Nil | | |
| 12 | Installed capacity after implementation of project | 25,920 ring spindles.. | | |

| | | |
|---|---|---|
| 13 | Whether all installed machinery/equipment in the project are new? | Yes |
| 14 | Whether name plates of all installed machinery/ equipment have been verified with purchase invoices/ packing list? | Yes |
| 15 | Whether the funds disbursed by NCDC was utilized only for the purpose for which it was sanctioned? | Yes |
| 16 | Whether the society has availed loan from any other banks/financial institutions for the same purpose? | No |
| 17 | Term loan disbursed from NCDC for the said purpose | Rs. 4400.00 lakh |
| 18 | Basic cost of TUF eligible machinery & equipment (excluding duties & taxes) | Rs. 3728.53 lakh (Annexure-I) |
| 19 | Eligible term loan* as per TUF norms prescribed by GOI under capital subsidy scheme of Govt. of Maharashtra | **Rs. 3728.53 lakh** |
| 20 | Eligible capital subsidy as per Govt. of Maharashtra GR dated 18.04.2016 (i.e., 45% on eligible term loan of Rs. 3728.53 lakh) | Rs. 1677.84 lakh |

*Disbursed term loan (or) basic cost of TUF eligible machinery & equipment, whichever is lower.

**Following documents are enclosed :**

a. List of TUF eligible machinery & equipment comprising type, make, model, serial no., imported or indigenous, country of origin, date of commissioning and purchase cost duly certified by inspection team members which was purchased after sanction date (Annexure-I);
b. CA certified copies of purchase invoices of TUF eligible machinery/equipment (Annexure-II);
c. Photographs of factory & installed machinery during inspection (Annexure-III);
d. Self declaration of the unit stating the project reached 70% or more of sanctioned capacity (Annexure-IV);
e. Project completion cum fund utilisation certificate (Annexure-V);
f. Item-wise details of actual expenditure incurred alongwith its sources of funds duly certified by CA (Annexure-VI);
g. Attested copy of last three month's electricity bill, first cotton purchase invoice & first yarn sales invoice (Annexure-VII);
h. Attested copy of Society's registration certificate (Annexure-VIII);
i. Attested copy of Society's PAN card (Annexure-IX);
j. Attested copy of Society's GST registration (Annexure-X);

Ashutosh Shukla
Assistant Director, NCDC

Sunil Shinde
Deputy Director, NCDC

Prabu Pandiraj
Director, NCDC